रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12082025-265374
SG-DL-E-12082025-265374

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231] दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 7, 2025/श्रावण 16, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 172
No. 231] DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2025/SHRAVANA 16, 1947 [N. C. T. D. No. 172

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 अगस्त, 2025

फा. सं. 28/एडिशनल एलसी/एग्जेम्प/एस एंड ई, एक्ट/2021/2438.—दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 (दिल्ली अधिनियम 7, 1954) की धारा 4 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-1 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

उक्त अनुसूची में "स्थापना आदि" के अंतर्गत क्रम संख्या 300 पर विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात:-

प्रविष्टि संख्या	दुकानों/प्रतिष्ठानों का विवरण	दुकानों और प्रतिष्ठानों के वे खंड जिनके अंतर्गत छूट दी गई है	शर्तें
301	शराब की दुकानों को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान	दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1954 की धारा 14, जहां तक यह कॉलम 4	(i). किसी भी कर्मचारी को किसी भी दिन नौ घंटे (भोजन और आराम सहित) से अधिक और प्रति सप्ताह अड़तालीस घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त,

		में उल्लिखित शर्तों के अधीन महिलाओं के रोजगार से संबंधित है।	किसी भी कर्मचारी को एक बार में पाँच घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पात्र कर्मचारियों को दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 की धारा 8 के तहत सामान्य दर से दोगुनी दर पर ओवरटाइम वेतन का भुगतान किया जाएगा। दैनिक घंटे, साप्ताहिक घंटे, विस्तार, ओवरटाइम और आराम के लिए अंतराल समय-समय पर अधिसूचना के अधीन होंगे। (ii) यदि शिफ्ट में कोई काम किया जाता है, तो वह इस प्रकार होगा कि किसी भी कर्मचारी को केवल रात्रि शिफ्ट में ही काम करने के लिए बाध्य न किया जाए। (iii) नियोक्ता उन सभी कर्मचारियों की सुरक्षा, संरक्षा और परिवहन के संबंध में उपयुक्त व्यवस्था करेगा, जिन्हें दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 में निर्धारित अनुसार ओवरटाइम या सामान्य कार्य घंटों से अधिक शिफ्ट में काम करने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त, नियोक्ता प्रतिष्ठान की वीडियोग्राफी के लिए क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) लगाएगा और उसे कम से कम एक महीने की अवधि तक सुरक्षित रखेगा तथा मुख्य दुकान निरीक्षक के मांगने पर उसे प्रस्तुत करेगा। (iv) राष्ट्रीय अवकाश पर काम करने वाले कर्मचारियों को इसके बदले में प्रतिपूरक अवकाश और ओवरटाइम के रूप में दोगुनी दर से मजदूरी दी जाएगी। (v) कर्मचारियों को बारी-बारी से साप्ताहिक अवकाश की अनुमति दी जाएगी। (vi) नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि श्रमिकों को विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत सभी कानूनी लाभ जैसे न्यूनतम मजदूरी, भविष्य निधि (पीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), बोनस, अवकाश सुविधा प्रदान की जाए और इसे दुकान/प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर डाला जाए। (vii) कर्मचारियों के वेतन का भुगतान चेक/इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा (ईसीएस) द्वारा किया जाएगा। (viii) इस छूट का पुलिस सहित किसी अन्य प्राधिकरण/ विभाग/ सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी किसी भी अधिसूचना/ आदेश/ सलाह/परिपत्र पर कोई अधिभावी प्रभाव नहीं होगा। (ix) कर्मचारियों को शौचालय, सुरक्षा लॉकर और अन्य बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। (x) महिला कर्मचारियों को नियुक्त करने वाला प्रत्येक नियोक्ता कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (केंद्रीय अधिनियम 14, 2013) के अंतर्गत महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करेगा और उक्त समिति कार्यरत रहेगी। (xi) महिलाओं को रात्रि पाली में नियुक्त करने से पहले उनकी सहमति आवश्यक होगी। (xii) इस अधिसूचना की एक प्रति प्रतिष्ठान में कर्मचारी के प्रवेश/निकास द्वार पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।
302	शराब की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 की धारा 15 और 16, कॉलम 4 में उल्लिखित शर्तों के अधीन	

			(xiii) दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 14,15 या 16 के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के इच्छुक प्रतिष्ठानों को अपने प्रतिष्ठान का विवरण जैसे पंजीकरण संख्या, प्रतिष्ठान का नाम, अधिभोगी/नियोक्ता का विवरण जैसे नाम, संपर्क नंबर और ईमेल आईडी, प्रतिष्ठान का पता, व्यवसाय की प्रकृति, कर्मचारियों की संख्या (पुरुष और महिला) के साथ-साथ यह घोषणा भी करनी होगी कि प्रतिष्ठान अधिसूचना में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन करेगा,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेशानुसार और उनके नाम से,

शिल्पा शिंदे, सचिव

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 7th August, 2025

F. No. 28/Addl.LC/Exemp./S&E, Act/2021/2438.—In exercise of powers conferred by the proviso to Section 4 of the Delhi Shops and Establishments Act, 1954 (Delhi Act 7 of 1954), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following addition in the Schedule-1, appended to the said Act.

In the said Schedule under "Establishment etc." after the existing entry at serial no. 300 the following entry shall be added, namely:-

Entry No.	**Description of Shops/establishments**	**Sections of Shops & Establishments under which exemption given**	Conditions
301	All Establishments except Liquor Shops	Section 14 of Delhi Shops & Establishments Act,1954 so far as it relates to the employment of women subject to the conditions mentioned in the column 4	(i).No employee shall be employed or allowed to work for more than nine hours (including that of meal and rest) on any day and for not more than forty Eight hours a week. Further, no employee shall be allowed to work for more than five hours at a stretch. Overtime wages shall be paid to eligible employees at double the normal rate as provided under section 8 of the Delhi Shops and Establishment Act, 1954. The daily hours, weekly hours, spread over, over-time and interval for rest shall be subject to notification from time to time. (ii) Shift working, if any, shall be in such a way that no employee is forced to work in night shift only.
302	All shops and commercial establishments except Liquor Shops	Section 15 and 16 of Delhi Shops & Establishments Act,1954 subject to the conditions mentioned in the column 4	

			(iii) Employer shall make suitable arrangement regarding safety, security and transportation of all the employees, who have been asked to work overtime or in the shift beyond the normal working hours as prescribed in the Delhi Shops and Establishments Act, 1954. Further the employer shall install Closed Circuit Television (CCTV) for videography of the establishment and preserve the same for not less than a period of one month and submit the same on demand from the Chief Inspector of Shops. (iv) Employees working on national holidays shall be given compensatory leave in lieu thereof, and double rate of wages as overtime. (V) Weekly off day will be allowed to employees in rotation. (vi) The employer shall ensure that the workers are provided all the legal benefits under various labour laws like Minimum Wages, Provident Fund (PF), Employees' State Insurance (ESI), Bonus, Leave facility and the same be put on website of the shop/establishment. (vii) Payment of wages of employees shall be made by cheque/Electronic Clearing Service (ECS). (viii) This grant of exemption shall have no overriding effect on any notification/order/advisory/circular/ issued by any other Authority/ Department/Government Agencies Including Police. (ix) The employees shall be provided with wash room, safety lockers and other basic amenities. (x) Every employer employing women employees shall constitute

			Internal Complaints Committee against sexual harassment of women under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (Central Act 14 of 2013) and the said Committee shall be operative. (xi) Consent of women shall be required before employing them in night shifts. (xii) A copy of this notification shall be prominently displayed at the employee's entrance/exit of the establishment. (xiii) Those establishments intending to avail exemption under section 14,15 or 16 of the Delhi Shops & Establishments shall furnish details of the establishment like registration number, name of establishment, details of occupier/employer such as name, contact number and email ID, address of establishment, nature of business, number of employees (men and women) along with an undertaking that the establishment shall follow all the conditions mentioned in the notification, to the Labour Department, Government of National Capital Territory Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

SHILPA SHINDE, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA